

16.10.25. पत्रावली पेशा अभिकाषक वादी कानु. | बार-बार कूक कूक कर
 क्रावज लगावाई गई। किंतु उप. न्यायालय नवी' काए
 न्यायहित में एक कंतिम अवसर दिया जाता है। श्रमाग्री
 तारीख-पेशी पर उप. नदी' कोने पर दाका वादी-
 कदम हाजिरी में खरिज कर दिया जावेगा पत्रावली
 दिनांक 14.11.25 को पेश हो। ~~का~~

14.11.25. पत्रावली पेशा अभिकाषक वादी कानु. स्थित | बार-बार
 कूक कूक कर क्रावज लगावाई गई। न्यायालय समय
 पूरा होने तक इंतजार किया किंतु न्यायालय में उपस्थित
 नदी' छुट। पूर्व में श्री- न्यायहित में कदम दिया
 जाता था। कः दाका वादी कदम हाजिरी कदम
 पेशी में खरिज निर्णीत किया जाता है। पत्रावली
 फलतः शुमार होकर बाद तकमील नब्वर से एक होकर
 कारकिल दफ्तार हो। ~~का~~

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
 मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)